R 7964/14

रिवीजनकर्ता - भगवत सिंह गाड़
आत्मज- प्रेम सिंह गौड़ उम्र लगभग 55 वर्ष
निवासी- सगौड़ी, तह. जवेरा, जिला- दमोह

विरूद्ध

उत्तरार्थीगण -
1. अपर आयुक्त जबलपुर संभाग- जबलपुर
2. म.प्र. शासन द्वारा अपर कलेक्टर जबलपुर

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 396-दो/14 जिला जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
6-6-14	यह निगरानी आवेदनपत्र म0प्र0 भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 235/अ-2/12-13 में पारित आदेश दिनांक 16.12.13 के विरूध्द प्रस्तुत किया गया है। 2/ मैंने आवेदक के विव्दान अभिभाषक के तर्कों पर विचार किया तथा अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख एवं आदेश का अवलोकन किया। आवेदक भगवत गौड़ व्दारा मौजा लडोई स्थित भूमि खसरा न0 216 रकबा 0.11 हे. तथा खसरा नम्बर 61 रकबा 0.85 कुल किता 2 कुल रकबा 0.96 हे. की विक्रय अनुमति हेतु आवेदनपत्र अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करने पर अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण दर्ज कर अनुविभागीय अधिकारी से जॉच कराकर प्रतिवेदन चाहा गया। पटवारी हल्का व्दारा तहसीलदार के समक्ष स्थल पंचनामा सहित जॉच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें आवेदक विक्रेता के पास प्रश्नाधीन भूमि के अलावा ग्राम सगोड़ी में भूमि होने से विक्रय की अनुशंसा की गयी। तहसीलदार ने आदेश पत्रिका दिनांक 25-8-09 में वादग्रस्त भूमि की बाजारू कीमत रू 92,000/- होने तथा विक्रय रू	

1 17,000/- मे होने से अनुशंसा सहित प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को प्रेषित किया। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश पत्रिका दिनाक 23-8-10 मे उल्लेख किया है कि आवेदक के पास ग्राम सगोड़ी तह0 मझौली मे भी पर्याप्त भूमि है। ग्राम लड़ोई में स्थित उक्त भूमि दूर होने से खेती नहीं कर पाते है. इसलिये उन्होंने तहसीलदार के प्रतिवेदन दिनांक 25-8-09 से सहमति व्यक्त की। जॉच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अपर कलेक्टर ने केता एव विकेता के कथन भी अंकित किये हैं। विकेता भवगत सिंह ने अपने बयान मे ग्राम लड़ोई मे 2.40 एकड़ भूमि एवं ग्राम सगोड़ी में 12 एकड़ भूमि होना बताया है। ग्राम सगोड़ी में निवास करने से ग्राम लडोई की भूमि विकय करना बताया है। केता ने अपने बयान में आदिवासी व्दारा भूमि अपनी मर्जी से उचित कीमत पर बेचना बताया हैं। बयान में यह भी कहा है कि मेरे व्दारा किया गया सौदा शासकीय गाइड लाइन से कम होता है तो मैं विकेता को शासकीय गाइड लाइन के अनुसार राशि प्रदान करने में अपनी सहमति पदान करता हूँ। विकय की जा रही भूमि असिंचित तथा मुख्य सड़क से अन्दर केता एवं विकेता दोनो ने ही बताया है।

3/ अपर कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 06-03-12 व्दारा पर्याप्त आधार नही होने से विकय अनुमति आवेदनपत्र खारिज किया है जिसे अपर अपर आयुक्त ने आदेश दिनाक 16-12-13 व्दारा यथावत

रखा है।

4/ आदिवासी का भूमि विक्रय के पूर्व कलेक्टर की अनुमति प्राप्त करने के प्रावधान का आशय यही है कि आदिवासी भूमि विक्रय के पश्चात भूमिहीन ना हो उसे भूमि का बाजार मूल्य प्राप्त हो और उसकी भूमि कपटपूर्ण तरीके से अन्तरित ना हो। आवेदक भगवतसिह गौड ग्राम सगोडी मे निवास करने तथा उसके पास ग्राम सगोडी में पर्याप्त भूमि है। ग्राम लडोई मे स्थित प्रश्नाधीन भूमि विक्रय करने के पश्चात आवेदक आदिवासी के पास भरण पोषण के लिये पर्याप्त भूमि शेष रहने एव विक्रय की जा रही भूमि का बाजार मूल्य से अधिक मूल्य प्राप्त होना तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदनो मे दर्शाया है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालयो व्दारा विक्रय अनुमति आवेदनपत्र खारिज किया गया है जिसे विधि सगत नही कहा जा सकता।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी का आवेदनपत्र स्वीकार किया जाता है और अपर आयुक्त का आदेश दिनाक 16–12 13 तथा अपर कलेक्टर का आदेश दिनाक 6--3--12 निरस्त किये जाते हैं। आवेदक भगवतसिह को ग्राम लडाई की स्थित भूमि खसरा न0 216 रकबा 0 11 तथा खसरा न0 61 रकबा 0 85 कुल किता 2 कुल रकबा 0 96 है के विक्रय की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि --

(1) विक्रय गाईड लाईन मे दर्शाये गये मूल्य से कम।

राशि पर नही किया जाय।

(2) विक्रेता को विक्रय राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान की जाय।

पक्षकार सूचित हो। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाय और तत्पश्चात राजस्व मण्डल का अभिलेख दाखिल अभिलेखागार किया जाय।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य